कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधानाचार्य/2018 दिनांक 21.08.2018 द्वारा श्री हरपाल सिंह प्रधानाचार्य राआउमावि–महरावर जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राजकीय आर.पी. आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय तरसुमा, बयाना जिला भरतपुर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री हरपाल सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3329/2018 हरपाल सिंह बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान व अन्य दायर की गई।

उक्त अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.10.2018 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 21.08.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः श्री हरपाल सिंह, प्रधानाचार्य, माननीय अधिकरण की आगामी सुनवाई तक माननीय अधिकरण के निर्णय के अध्याधीन राआउमावि–महरावर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/3329/2018 दिनांक: 11.10.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश कमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 30.05.2018 द्वारा श्री शिवराज कुमावत, प्रधानाचार्य राउमावि–नापाखेडा जिला अजमेर का स्थानान्तरण राउमावि–चावन्डिया जिला नागौर किया गया था जिसके विरूद्ध श्री शिवराज कुमावत द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 983/2018 शिवराज कुमावत बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा व अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 983/2018 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 द्वारा प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व मुख्य रूप से अपीलार्थी की सहमति को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में अपीलार्थी को सक्षम प्राधिकारी/संदर्भित प्रत्यर्थी विभाग को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन पेश करने और सक्षम प्राधिकारी को पूर्वोक्त आशय के अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में नियमानुसार विचार कर एक आख्यात्मक आदेश पारित प्रसारित कर निस्तारित करने और ऐसे निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के क्रम में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता के प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित होने, अपनी पत्नी की अस्वस्थता और अपने नवीन पदस्थापन स्थान के अत्यधिक दूर होने जैसी विषम पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अपना स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने की परिवेदना की गई है।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन पर राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में गहनता से अवलोकन व परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। अपीलार्थी को राउमावि–नापाखेड़ा जिला अजमेर से राउमावि–चावन्ड़िया जिला नागौर स्थानान्तरित किया गया था किन्तु राउमावि–चावन्ड़िया में प्रधानाचार्य का पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में अपीलार्थी द्वारा श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक द्वितीय, नागौर से मार्गदर्शन चाहा गया। श्रीमान जि.शि.अ. माध्यमिक द्वितीय, नागौर द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 03.07.2018 को अपनी उपस्थिति कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर में देने हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में अपीलार्थी के उक्त दिनांक को उपस्थित होने के उपरान्त उन्हें विभागीय आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/एपीओ–पदस्थापन/2018 दिनांक 04.07.2018 द्वारा राउमावि–लूनसरा, मूण्ड़वा जिला नागौर में पदस्थापित किया जाकर अनुतोष प्रदान किया जा चुका है। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा–मा./संस्था/बी–2/शिवराज कुमावत/अपील/983/2018 **दिनांक 11.10.2018**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अजमेर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा–जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।
7. सम्बन्धित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)